

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1269 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 25/11/2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- चम्पावत के अन्तर्गत बिनवाल कलियाधूर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.72 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं० 145468/2021


सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक 8 बी०/यू०सी०पी०/०६/०९/२०२३/एफ०सी०/दिनांक 26.04.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयगत पत्र के क्रम में जनपद- चम्पावत के अन्तर्गत बिनवाल कलियाधूर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.72 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं०- 145468/2021 में भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के पत्रांक 2054/12-1 दिनांक 18.11.2024 द्वारा वृत्त स्तर को प्रेषित किया गया है, जिसे मूल तीन प्रतियों में आपको सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- तीन प्रतियों में।

भवदीय

  
(डॉ धीरज पाण्डेय)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्राप्त

21-11-24

अभिज्ञता

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

Email-dfo.chamawat@rediffmail.com

पत्रांक 2054 / 12-1

दिनांक, चम्पावत

18-11-

2024

सेवा में,

वन संरक्षक  
उत्तरी कुमाऊं वृत्त  
अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद चम्पावत के अन्तर्गत बिनवालगांव कलियाधूरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.72 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं० - 145468/2021


संदर्भ:- आपकी पत्र संख्या 854/12-1 (2) दिनांक 03.10.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय की पत्र सं० 1393/12-1 दिनांक 28.09.2024 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में जिन स्थानों पर हस्ताक्षर नहीं हुये थे यथास्थान हस्ताक्षर कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है।


संलग्नक :- 4 प्रस्ताव मूल में।

भवदीय,

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

संख्या-2054/12-1/दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 1393 / 12-1 दिनांक , चम्पावत 28-9-2024

शेता में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त  
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषय:- जनपद चम्पावत के अन्तर्गत बिनवालगांव कलियाधूरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.720 हे० वनभूमि गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं० (FP/UK/ROAD/145468/2021)  
संदर्भ:- भारत सरकार की पत्र सं० 8बी०/यू०सी०पी०/०६/०९/२०२३/एफ०सी० दिनांक 26.04.2024 व अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत की पत्र संख्या 2239/2सी दिनांक 30.08.2024।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र में प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, देहरादून द्वारा प्रेषित आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित हैं:-

S.N	आपत्तियां	निराकरण
1	It is seen that CA has been proposed over Degraded forest land but as per Van [Sanrakshan evam Samvardhan] Rules 2023. CA is required to be proposed in Non Forest Land only and details there of is required to be submitted/uploaded.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण का स्थल सिविल भूमि मौनकाण्डा में चयनित किया गया है। जिसका डिजिटल मैप संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को ऑनलाईन पार्ट 2 बी में अपलोड किया गया है।
2	Complete KML file of area proposed for diversion showing forest area and revenue area [in different colour] is required to be uploaded.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग की के०एम०एल० पूर्व में ही अपलोड की गयी है। जिसमें प्रभावित होने वाली वनभूमि एवं राजस्व भूमि को बार चार्ट में अलग रंग से दर्शाया गया है।
3	Cost benefit analysis is not as per revised NPV rate which is required to be reviewed.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि लागत लाभ विश्लेषण संशोधित एन०पी०वी० की नई दरों के अनुसार पुनः तैयार कर 4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की गयी है।
4	NPV calculation sheet as per revised rate is required to be submitted/uploaded.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एन०पी०वी० की गणना शीट नई दरों पर पुनः तैयार कर 4 प्रतियों में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ प्रेषित की गयी है।
5	KML file of three alternatives for the proposed along with comparative statement are required to be submitted.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त आख्या अपलोड कर दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।


संलग्नक - उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

पत्रांक: 1393/ 12-1 दिनांकित।


प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

(M)

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

(M)